NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

राज्य की वित्तीय स्थिति द्वारा अर्थव्यवस्था की जानकारी

www.nextias.com

राज्य की वित्तीय स्थिति द्वारा अर्थव्यवस्था की जानकारी

संदर्भ

- राज्यों के वित्त और बजट, बुनियादी ढाँचे एवं शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तथा स्थानीय रोज़गार पहलों तक, व्यापक आर्थिक लचीलेपन और स्थानीय शासन की प्राथमिकताओं, दोनों को दर्शाते हैं।
- अर्थव्यवस्था की व्यापक समझ के लिए राज्यों के राजकोषीय पैटर्न पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है।

भारतीय राज्यों के राजकोषीय प्रवृत्ति: वित्त वर्ष 2025 की समीक्षा और दृष्टिकोण

- भारत का राजकोषीय स्वास्थ्य व्यापक आर्थिक स्थिरता का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। अनंतिम वास्तविक आंकड़ों (पीए) का उपयोग करते हुए, वित्त वर्ष 2025 में प्रमुख भारतीय राज्यों के राजकोषीय रुझान, वित्त वर्ष 2026 के लिए विकसित राजकोषीय परिदृश्य और अपेक्षाओं को दर्शाते हैं।
- प्रमुख भारतीय राज्य (17 राज्यों पर केंद्रित) सामूहिक रूप से भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 90% हिस्सा हैं।
- **वित्त वर्ष 2025 में बढ़ता राजकोषीय घाटा:** 17 राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2024 में ₹7.8 ट्रिलियन (जीएसडीपी का 2.9%) से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 पीए में ₹9.5 ट्रिलियन (जीएसडीपी का 3.2%) हो गया।
  - पूंजीगत व्यय ने योगदान दिया, जो ₹678 बिलियन (जीएसडीपी का 0.2%) बढ़ा।
- **राजस्व प्रवृत्ति:** राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि वित्त वर्ष 2024 के 7.9% से वित्त वर्ष 2025 में 6.3% तक धीमी हो गई।
  - हालाँकि, राजस्व व्यय में 9% की स्थिर वृद्धि बनी रही, जिससे राजकोषीय गुंजाइश कम हुई और राजस्व घाटा बिगड़ गया।
- **केंद्र बनाम राज्य:** जहाँ केंद्र ने अपने राजस्व घाटे को कम किया, वहीं राज्यों में वृद्धि देखी गई, जो उप-इष्टतम राजकोषीय गुणवत्ता का संकेत देता है।
  - कुल राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय के लिए कम उधार लेने की संभावना दर्शाता है, जो अधिक उत्पादक और विकास-प्रेरक है।
- **पूंजीगत व्यय पैटर्न:** 17 राज्यों द्वारा वित्त वर्ष 2025 का पूंजीगत व्यय ₹7.4 ट्रिलियन रहा, जो वित्त वर्ष 2024 से ₹678 बिलियन अधिक है, लेकिन यह वृद्धि वित्त वर्ष 2022-24 के ₹910-1,120 बिलियन वार्षिक की प्रवृति से कम है।
  - पूंजीगत व्यय संशोधित अनुमान (आरई) से ₹1.1 ट्रिलियन कम रहा, जबकि केंद्र ने अपने लक्ष्य को पार कर लिया।
- **पूंजीगत व्यय में वृद्धि:** उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में वार्षिक आधार पर 42% की वृद्धि देखी गई, जो मार्च 2024 में ₹1.5 ट्रिलियन की तुलना में ₹2.2 ट्रिलियन तक पहुँच गई।
  - वार्षिक पूंजीगत व्यय का 30% से अधिक अकेले मार्च में किया गया - वित्त वर्ष 2024 से अधिक - जो विगत तिमाही के व्यय को दर्शाता है, जो प्रायः मार्च में उधारी में वृद्धि के साथ सामंजस्यपूर्ण है।
  - पूंजीगत व्यय ऋणों के लिए केंद्र की विशेष सहायता ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत में राज्य वित्त (संवैधानिक प्रावधान)

- कर लगाने की शक्तियों का विभाजन:
  - संघ सूची: आयकर, सीमा शुल्क, कॉर्पोरेट कर, आदि।
  - राज्य सूची: राज्य उत्पाद शुल्क, संपत्ति कर, कृषि आय, आदि।
  - समवर्ती सूची: स्टाम्प शुल्क, वन उपज

- **वित्त आयोग (अनुच्छेद 280):** राज्यों को केंद्रीय कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करने के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष में नियुक्त एक संवैधानिक निकाय।
  - यह सहायता अनुदान का सुझाव देता है और अच्छे राजकोषीय प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है।
- **अनुच्छेद 275 और 282:** राज्यों के लिए सहायता अनुदान और लोक कल्याण कार्यक्रमों के लिए विवेकाधीन वित्तीय सहायता को नियंत्रित करता है।
- **अनुच्छेद 293:** राज्यों की उधार लेने की शक्तियों को नियंत्रित करता है। आंतरिक उधार की अनुमति है, जबकि बाहरी ऋणों के लिए केंद्र की सहमति आवश्यक है।
- **वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी):** कई करों को मिलाकर एक प्रमुख राजकोषीय सुधार, जीएसटी परिषद द्वारा शासित - एक संघीय निकाय जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व है।

राज्य के वित्त में प्रमुख बाधाएँ

- **ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन:** केंद्र कर राजस्व का बड़ा भाग एकत्र करता है जबकि राज्य मुख्य व्यय (स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढाँचा) का भार वहन करते हैं।
  - यह केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता उत्पन्न करता है और स्वायत्तता को सीमित करता है।
- **विलंबित हस्तांतरण और जीएसटी क्षतिपूर्ति:** राज्य प्रायः धन आवंटन, विशेष रूप से जीएसटी क्षतिपूर्ति में देरी की रिपोर्ट करते हैं, जिससे बजट योजना और कार्यान्वयन प्रभावित होता है।
  - जीएसटी परिषद के अंदर विवाद और राजस्व अनुमानों में परिवर्तन अनिश्चितता को बढ़ाते हैं।
- **उधार लेने की बाधाएँ:** एफआरबीएम (राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन) अधिनियम घाटे के व्यय को प्रतिबंधित करता है, जिससे उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में निवेश सीमित हो जाता है।
  - राज्यों को कल्याणकारी योजनाओं या आपातकालीन राहत के लिए भी एक निश्चित सीमा से अधिक उधार लेने की अनुमति की आवश्यकता होती है।
- **ऋणों पर अत्यधिक निर्भरता और बजट से इतर उधारी:** कई राज्य बाजार उधारी का सहारा लेते हैं या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के माध्यम से बजट जांच को दरकिनार कर देते हैं।
  - यह ऋण के स्तर को अस्पष्ट कर सकता है और पारदर्शिता को कम कर सकता है।
- **लोकलुभावन व्यय बनाम उत्पादक निवेश:** चुनाव चक्रों में, राजस्व मुफ्त सुविधाओं और सब्सिडी में चला जाता है, जिससे पूंजी निवेश के लिए बहुत कम स्थान बचता है।
- **कमज़ोर राजस्व संग्रहण:** कई राज्य आंतरिक राजस्व सृजन में कमज़ोर प्रदर्शन करते हैं, और साझा करने योग्य करों एवं अनुदानों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं।
  - कृषि आय—जो पूरी तरह से राज्य के अधिकार क्षेत्र में है—अत्यंत सीमा तक कर-मुक्त रहती है।

सरकारी पहल

- **वित्त आयोग की सिफ़ारिशें:**
  - **ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण:** समानता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कर-साझाकरण एवं सहायता अनुदान पर आवधिक सिफ़ारिशें।

  - **प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन:** स्वच्छता, शिक्षा और राजकोषीय प्रबंधन में सुधार के लिए राज्यों को पुरस्कृत किया जाता है (उदाहरण के लिए, 15वां वित्त आयोग)।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम:** कई राज्यों ने राजकोषीय घाटे को कम करने और पारदर्शिता में सुधार के लिए अपने स्वयं के FRBM कानून अपनाए हैं।
  - मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना और जवाबदेही को प्रोत्साहित करता है।
- **आत्मनिर्भर भारत उधार प्रोत्साहन:** राज्यों को अतिरिक्त उधार (जीएसडीपी के 2% तक) की अनुमति दी गई, बशर्ते उन्होंने निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार लागू किए:
  - एक राष्ट्र एक राशन कार्ड;
  - व्यापार में आसानी;
  - विद्युत क्षेत्र;
  - शहरी स्थानीय निकाय राजस्व वृद्धि
- **जीएसटी क्षतिपूर्ति तंत्र:** जीएसटी लागू होने के पश्चात, केंद्र ने राजस्व में कमी के अन्तर को समाप्त करने का आश्वासन दिया।
  - हालांकि समयबद्ध, इसने राज्यों को नई कर व्यवस्था में बदलाव लाने में सहायता की।
- **डिजिटल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणालियाँ:** पीएफएमएस और ई-कुबेर जैसे प्लेटफ़ॉर्म धन हस्तांतरण को सुव्यवस्थित करते हैं, व्यय पर नज़र रखते हैं और लीकेज को कम करते हैं।
  - पारदर्शिता और वास्तविक समय की निगरानी को बढ़ाता है।
- **ऋण समेकन और डूबती निधि:** राज्यों को ऋण चुकौती के लिए समेकित डूबती निधि स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
  - आरबीआई के दिशानिर्देश विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन को बढ़ावा देते हैं।

राज्य वित्त को मजबूत करने के लिए सुधार के रास्ते

- **राजस्व जुटाना:**
  - **संपत्ति कर सुधार:** संग्रह में सुधार के लिए डिजिटलीकरण और युक्तिकरण।
  - **कृषि आयकर पर बहस:** कुछ विशेषज्ञ राज्य के अधिकार क्षेत्र में उच्च आय वाले किसानों पर कर लगाने का समर्थन करते हैं।
  - **उपयोगकर्ता शुल्क और गैर-कर राजस्व:** लागत वसूलने के लिए सार्वजनिक सेवाओं का बेहतर मूल्य निर्धारण।
- **व्यय दक्षता:**
  - **परिणाम-आधारित बजट:** व्यय को मापनीय परिणामों से जोड़ना।
  - **सब्सिडी का युक्तिकरण:** राजकोषीय बोझ कम करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लक्षित वितरण।
- **उधार और ऋण प्रबंधन:**
  - **बाज़ार-आधारित उधार:** राज्य निवेशकों को आकर्षित करने के लिए क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड जारी करते हैं।
  - **बजट से इतर उधार:** सार्वजनिक उपक्रमों और विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के माध्यम से लिए गए ऋणों में पारदर्शिता की आवश्यकता।

- **संस्थागत क्षमता निर्माण:** राज्य राजकोषीय अनुसंधान इकाइयाँ: साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए।
  - **प्रशिक्षण कार्यक्रम:** बजट, पूर्वानुमान और अनुपालन में स्थानीय अधिकारियों के लिए।
- **सहकारी संघवाद:**
  - **जीएसटी परिषद सुधार:** दर-निर्धारण और विवाद समाधान में राज्यों की अधिक भागीदारी।
  - **केंद्र प्रायोजित योजनाओं में लचीलापन:** राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं को अनुकूलित करने की अनुमति।

Source: IE

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: राज्य-स्तरीय राजकोषीय नीतियों और व्यय की प्रवृति भारत की अर्थव्यवस्था के व्यापक स्वास्थ्य और दिशा को कैसे दर्शाते हैं, और वे क्षेत्रीय सरकारों की प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताते हैं?

■■■■